



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 24, 2023 (BHADRA 2, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अगस्त, 2023

संख्या 1465-ए०आर०एस०-1-2023/5636.— हरियाणा जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) की धारा 41 की उप-धारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, चकबन्दी विभाग, अधिसूचना संख्या 166-एआरएस -1-2010/436, दिनांक 15 जनवरी, 2010 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा राज्य में सभी उपायुक्तों को अपनी-अपनी अधिकारिता के भीतर पड़ने वाली सम्पदाओं के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम के प्रशासन के लिए नियुक्त करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 42 के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को उन्हें प्रत्यायोजित करते हैं।

राजेश खुल्लर,

वित्तियुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 24th August, 2023

No. 1465-ARS-1-2023/5636.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 41 of the Haryana Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (East Punjab Act 50 of 1948) and in supersession of the Haryana Government, Consolidation Department, notification No.166-ARS-1-2010/436, dated the 15th January, 2010, the Governor of Haryana hereby appoints all the Deputy Commissioners in the State of Haryana in respect of the estates falling in their respective jurisdiction for the administration of the said Act and delegates to them the powers exercisable by the State Government under section 42 of the said Act.

RAJESH KHULLAR,

Financial Commissioner and Additional Chief Secretary
to Government, Haryana, Revenue and Disaster Management Department.

10554—C.S.—H.G.P., Pk1.

(2535)



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 151-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, AUGUST 24, 2023 (BHADRA 2, 1945 SAKA)

हरियाणा सरकार

राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक 24 अगस्त, 2023

संख्या 1466-ए०आर०एस०-1-2023/5639.— हरियाणा जोत (चकबन्दी तथा खण्डकरण रोकथाम) अधिनियम, 1948 (1948 का पूर्वी पंजाब अधिनियम 50) की धारा 21 की उप-धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, चकबन्दी विभाग, अधिसूचना संख्या 520-एआरएस -1-2011/2287, दिनांक 08 मार्च, 2011 के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा हरियाणा राज्य में सभी अतिरिक्त उपायुक्तों को अपनी-अपनी अधिकारिता के क्षेत्र के भीतर सहायक निदेशक चकबन्दी के रूप में नियुक्त करते हैं और उक्त अधिनियम की धारा 21 की उप-धारा (4) के अधीन प्रयोग की जाने वाली शक्तियां उन्हें प्रत्यायोजित करते हैं।

राजेश खुल्लर,
वित्तायुक्त एवं अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
राजस्व एवं आपदा प्रबन्धन विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 24th August, 2023

No. 1466-ARS-1-2023/5639.— In exercise of the powers conferred by sub-section (7) of section 21 of the Haryana Holdings (Consolidation and Prevention of Fragmentation) Act, 1948 (East Punjab Act 50 of 1948) and in supersession of the Haryana Government, Consolidation Department, notification No. 520-ARS-1-2011/2287, dated the 8th March, 2011, the Governor of Haryana hereby appoints all the Additional Deputy Commissioners in the State of Haryana as Assistant Director of Consolidation within the area of their jurisdiction and delegates to them the powers exercisable under sub-section (4) of section 21 of the said Act.

RAJESH KHULLAR,
Financial Commissioner and Additional Chief Secretary
to Government, Haryana, Revenue and Disaster Management Department.

10554—C.S.—H.G.P., Pkl.

(2536)